भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3437
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

3437. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली की आपूर्ति के लिए अधिकतम लागत निर्धारित करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दिशानिर्देशों की निगरानी या मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा राज्यों द्वारा उन्हें अंगीकृत करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की संस्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जिसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति की अधिकतम लागत के संबंध में निम्नलिखित सुझाव शामिल हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन संचालित करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा लगाए जाने वाले कुल शुल्क में विद्युत आपूर्ति शुल्क, सेवा शुल्क, भूमि लागत और लागू जीएसटी शामिल होंगे।

ii. ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति का शुल्क एकल-भाग शुल्क होगा और 31 मार्च 2028 तक “आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस)” से अधिक नहीं होगा। वितरण लाइसेंसधारी सौर घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान एसीओएस का 0.7 गुना और गैर-सौर घंटों (दिन के शेष घंटे) के दौरान एसीओएस का 1.3 गुना शुल्क ले सकता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, जहां सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति का शुल्क एकल भाग है, जो आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं है, **अनुबंध** पर दिया गया है।

iii. एसी चार्जिंग के लिए सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 3.0 रुपये और गैर-सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 4.0 रुपये का अधिकतम सेवा शुल्क सार्वजनिक और सामुदायिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज करने के लिए लागू होगा। इसी तरह, डीसी चार्जिंग के लिए सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 11.0 रुपये और गैर-सौर घंटों के दौरान विद्युत की प्रति यूनिट 13.0 रुपये का अधिकतम सेवा शुल्क सार्वजनिक और सामुदायिक चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज करने के लिए लागू होगा।

(ग) : उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, बीईई को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अलावा, राज्यों को सार्वजनिक, सामुदायिक, कार्यस्थल और ई-बस डिपो चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा के लिए डिस्कॉम और संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के साथ समन्वय करने के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी नामित करने की सलाह दी गई है। राज्यों को सचिव ऊर्जा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करने की भी सलाह दी गई है, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास के सचिव और राज्य स्तर पर ईवी चार्जिंग अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए आवश्यक अन्य सदस्य शामिल होंगे।

लो.सं.अतारां.प्र.सं. 3437

अनुबंध

वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क एकल भाग है, जो आपूर्ति की औसत लागत से अधिक नहीं है

क्र.सं	राज्य का नाम	पीसीएस को विद्युत आपूर्ति शुल्क (ईवी) (रुपए/यूनिट)	
		एलटी	एचटी
1	अंडमान और निकोबार	12.0	12.0
2	आंध्र प्रदेश	6.7	6.7
3	अरुणाचल प्रदेश	5.0	11 केवी: 4.2, 33 केवी: 4.0
4	बिहार	8.72	7.85
5	चंडीगढ़	3.8	3.6
6	छत्तीसगढ़	6.92	6.92
7	दिल्ली	4.5	4.0
8	गोवा	4.75	4.75
9	हरियाणा	6.48	6.12
10	लक्षद्वीप	7.8	7.8
11	मध्य प्रदेश	6.9	6.9
12	मेघालय	8.5	8.5
13	ओडिशा	5.0	5.0
14	पुदुचेरी	5.75	5.75
15	पंजाब	6.28	6.28
16	तेलंगाना	6.0	6.0
17	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	5.1	4.9
18	उत्तराखंड	7.0	7.0
19	पश्चिम बंगाल	6.0	6.0

****